## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती सुनिता यादव (R.A.S.)

| दावा सख्या | रजू दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 195 / 2019 | 05.07.2019 | 06.03.2020 |

उनवान

1. राकेश पुत्र हरफूल
2. सतीश पुत्र नंदलाल
3. देशराज पुत्र बोदन
4. रमेश पुत्र बोदन
5. रतनलाल पुत्र बख्तावर
6. जितेन्द्र पुत्र जगमाल पौत्र बख्तावर
7. लीलाराम
8. सुभाष पुत्रान सूरजा जातियान अहीर निवासीयान उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

–: वादीगण

बनाम

1. प्रभाती पुत्र आंसला जाति अहीर निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
2. जसवंत उर्फ रामजस
3. हनुमान पुत्रान हरनारायण जातियान जांगिड (खाती) निवासीयान मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
4. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर ,राज0
5. उप पंजियक महोदय , मुण्डावर जिला अलवर , राज0

–: प्रतिवादीगण

दावाः– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

.........................................................................

–: निर्णय :–

दिनांक :– 06.03.2020

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने निर्णय पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित आये। वादीगण के वाद का सारतः रहा कि हाल ख0न0 2915 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर में स्थित होकर विवादित आराजी कहलायेगी जो साबिक ख0न0 1598 से बना है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पूर्वज हरनारायण वक्त लागू होने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट (संशोधन) 1959 व संशोधन 1961 के समय काबिज काश्त थे तथा विवादित भूमि पर काबिज होने से प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पूर्वज को पट्टेदार दर्ज किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के पूर्वज वक्त लागू होने राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट (संशोधन) 1959 व संशोधन 1961 विवादित आराजी पर काबिज काश्त थे, इस कारण से ऑपरेशन बाई लॉ प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

थे, मात्र रिकॉर्ड में पट्टेदार दर्ज चल रहा था और अपनी आराजी को रहन, बैय आदि करने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। घर खर्च हेतु रुपयों की आवश्यकता होने के कारण दिनांक 02.03.1965 को विवादित आराजी के साबिक ख0न0 1598 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा मिनवादीगण के पूर्वज श्योदान पुत्र हरलाल 1/2, बख्तावर वो सूरजा पिसरान छाजूराम 1/2 अहीरान उलाहेडी तहसील मुण्डावर को सदैव के लिए विक्रय किया गया। विक्रय राशि 700 रुपये प्राप्त करना व विक्रय की गई आराजी पर कब्जा दिया जाना स्वीकार किया आदि इबारत रजिस्टर्ड बैयनामा में लिखते हुये बैयनामा सब रजिस्ट्रार मुण्डावर के समक्ष पेश कर तस्दीक कराया गया इसलिए मिनवादीगण को विवादित आराजी बाबत मुताबिक विक्रेता खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, मात्र राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम का अमल पट्टेदार के साथ गैर खातेदार तथा प्रभाती पुत्र आंसला गैर मौरूसी 3 साल बिना वजह दर्ज कर दिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है। मिनवादी के हक हकूको के खिलाफ बातिल व बेअसर है। वादीगण के पूर्वजों का सजरा निम्न प्रकार है अंकित करते हुये वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री इश्तकरारहक सादिर फरमाई जाकर हाल आ0ख0न0 2915 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर के बाबत वादीगण संख्या 1 ल0 4 को कुल आराजी के 1/2 भाग मे से वादी संख्या 1, 1/3, वादी संख्या 2, 1/3 एवं वादी संख्या 3 व 4 को 1/3 भाग दर 1/2 भाग तथा वादी संख्या 5 व 6, 1/2 भाग तथा वादी संख्या 7 व 8, 1/2 भाग दर 1/2 भाग के कब्जेकाश्त खातेदार घोषित किये जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 ल0 3 का नाम हजफ किया जावे एवं असल प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जावे कि विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बैय आदि से मुन्तकिल ना करे ना कोई निर्माण कार्य करे ना ही मिन वादीगण के कब्जेकाश्त में मजाहमत ही पैदा करे आदि का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5 अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा बार–बार चाहे जाने जवाब पैरोकार सरकार के अवसर दिये जाने उपरांत पैरोकार सरकार के जवाब का अवसर समाप्त किया गया।

वादीगण ने अपने वादपत्र की ताईद में दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–1, बैयनामा दिनांक 02.03.1965 प्रदर्श–2 एवं प्रदर्श–7, नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2029 प्रदर्श–3, मिलान क्षेत्रफल संवत 2029 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2061–64 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी ख0न0 2908, 2909, 2911 संवत 2069–72 प्रदर्श–6 पेश किये एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप देशराज उर्फ पप्पू पी.डब्ल्यू.–1, रतिराम पी.डब्ल्यू.–2 एवं शपथ–पत्र जितेन्द्र पी.डब्ल्यू.–3 पेश किये जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादीगण की बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस वादीगण के वादपत्र के जिमनो को दोहराते हुये वकील वादी का अभिकथन रहा कि विवादित हाल आराजी ख0न0 2915 वाके ग्राम मुण्डावर तहसील मुण्डावर साबिक ख0न0 1598 से बना है तथा विवादित आराजी का प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पूर्वज हरनारायण राज0 टीनेन्सी एक्ट 1955, 1959, 1961 के वक्त काबिज काश्त थे, काबिज होने की स्थिति में उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे, मात्र रिकॉर्ड में पट्टेदार दर्ज चल रहा था तथा घर खर्च हेतु रुपयों की आवश्यकता होने के कारण दिनांक 02.03.1965 को साबिक आराजी ख0न0 1598 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा वादीगण के पूर्वज श्योदान पुत्र हरलाल व बख्तावर, सूरजा पिसरान छाजूराम अहीरान उलाहेडी तह0 मुण्डावर को सदैव के लिए विक्रय कर दिया। मात्र राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम का अमल पट्टेदार गैरखातेदार चला आ रहा है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है एवं वादीगण के हक हकूको के खिलाफ बातिल वो बेअसर है

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

आदि–आदि का अभिकथन करते हुये वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत प्रदर्श–1 ल0 प्रदर्श–7 एवं मौखिक साक्ष्य स्वरूप प्रस्तुत शपथ–पत्र पी.डब्ल्यू–1, 2, 3 प्रस्तुत किये जाकर शामिल पत्रावली होने के बाबत का विस्तार से विवेचन करते हुये वादीगण के वाद को डिक्री किये जाने का अभिकथन रहा।

वकील वादी की ध्यानपूर्वक बहस अंतिम सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन करने उपरांत यह न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार योग्य पाता है। चूंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा बैयनामा दिनांक 02.03.1965 प्रदर्श–2 व प्रदर्श–7 एवं नकल जमाबंदी संवत 2069–72 प्रदर्श–1 जिस पर हो रहे प्रमाती पुत्र आंसला गैर मौ. साल 26 मि. हरनारायण पुत्र लीला खाती सा. देह पट्टेदार गैर खातेदार एवं प्रस्तुत प्रदर्श–2, 7 बैयनामा दिनांक 02.03.1965 में हो रहे अंकन जिसका मैं पट्टेदार था जिसकी कीमत वगैरह जमा करा दी है के अवलोकन एवं प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श–3 अन्य प्रविष्टी के साथ–साथ हरनारायण पुत्र लीला खाती पट्टेदार गैर खातेदार एवं अन्य प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर उक्त विवादित आराजी कस्टोडियन आराजी रही है जो वर्तमान में वाके ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर में स्थित है। इस प्रकार विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि रही होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से कस्टोडियन फीस वसूली योग्य होकर वादीगण द्वारा वादपत्र के माध्यम से चाहा गया अनुतोष को वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है।

## आदेश

अतः वादीगण द्वारा वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर हाल आराजी खसरा नंबर 2915 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है एवं आराजी मुतनाजा में से वादी संख्या 1 को 1/3 भाग, वादी संख्या 2 को 1/3 भाग एवं वादी संख्या 3 व 4 को 1/3 भाग दर 1/2 भाग तथा वादी संख्या 5 व 6 को 1/2 भाग, वादी संख्या 7 व 8 को 1/2 भाग दर 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड पर से प्रतिवादीगण संख्या 1 ल0 3 के नाम कों हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादीगण को हु0ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे, ना ही कोई निर्माण कार्य ही करें, ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करे। पाबंद रहे। चूंकि उक्त विवादित आराजी कस्टोडियन की भूमि रही है इस हेतु वादीगण नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क तहसीलदार कार्यालय में जमा करावें तथा कस्टोडियन राशि की गणना कराई जाने एवं गणना अनुसार वादीगण से राशि प्राप्त कर जमा राजकोष कराये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। बाद अदायगी देय कस्टोडियन शुल्क जमा राजकोष किये जाने उपरांत तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्त आदेशानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर , न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

06/03/2020

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– सुनिता यादव (R.A.S.)

| दावा सख्या | रजू दिनांक | पर्चा डिक्री दिनांक |
|---|---|---|
| 195 / 2019 | 05.07.2019 | 06.03.2020 |

उनवान

1. राकेश पुत्र हरफूल
2. सतीश पुत्र नंदलाल
3. देशराज पुत्र बोदन
4. रमेश पुत्र बोदन
5. रतनलाल पुत्र बख्तावर
6. जितेन्द्र पुत्र जगमाल पौत्र बख्तावर
7. लीलाराम
8. सुभाष पुत्रान सूरजा जातियान अहीर निवासीयान उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)

–: वादीगण

बनाम

1. प्रभाती पुत्र आंसला जाति अहीर निवासी उलाहेडी तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
2. जसवंत उर्फ रामजस
3. हनुमान पुत्रान हरनारायण जातियान जांगिड (खाती) निवासीयान मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर (राज0)
4. तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर ,राज0
5. उप पंजियक महोदय, मुण्डावर जिला अलवर , राज0

–: प्रतिवादीगण

दावा:– इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज व हु0ई0 दवामी

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुउपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 06.03.2020** को **श्रीमति सुनिता यादव, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और डिक्री दी जाती है कि :–**

अतः वादीगण द्वारा वाद को महत्वपूर्ण व सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्य से साबित कर दिये जाने की स्थिति में वाद स्वीकार योग्य पाये जाने पर हाल आराजी खसरा नंबर 2915 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम मुण्डावर तह0 मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादीगण का वाद डिकी किया जाता है एवं आराजी मुतनाजा में से वादी संख्या 1 को 1/3 भाग, वादी संख्या 2 को 1/3 भाग एवं वादी संख्या 3 व 4 को 1/3 भाग दर 1/2 भाग तथा वादी संख्या 5 व 6 को 1/2 भाग, वादी

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

संख्या 7 व 8 को 1/2 भाग दर 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड पर से प्रतिवादीगण संख्या 1 ल0 3 के नाम को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बैय आदि प्रकार से मुन्तकिल ना करे, ना ही कोई निर्माण कार्य ही करें, ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत ही पैदा करे। पाबंद रहे। चूंकि उक्त विवादित आराजी कस्टोडियन की भूमि रही है इस हेतु वादीगण नियमानुसार देय कस्टोडियन शुल्क तहसीलदार कार्यालय में जमा करावें तथा कस्टोडियन राशि की गणना कराई जाने एवं गणना अनुसार वादीगण से राशि प्राप्त कर जमा राजकोष कराये जाने बाबत तहसीलदार मुण्डावर को अहकाम जारी हो। बाद अदायगी देय कस्टोडियन शुल्क जमा राजकोष किये जाने उपरांत तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्त आदेशानुसार हाल राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

**यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.03.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।**

**(सुनिता यादव)**
**उपखण्ड अधिकारी एवं**
**पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर जिला अलवर राज0**

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)